कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बलप्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थब्लॉक, केपिटलकॉम्पलेक्स, नवारायपुर, अटलनगर– 492002
(अपर प्रधानमुख्य वन संरक्षक–भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विद्युत/479–187/540 रायपुर, दिनांक 20 /02/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 132/33 KV Sub–Station area 3.24 ha. at Keshkal Forest Division in District Kondagaon in State of Chhattisgarh- reg.**

– **पंजीयन क्रमांक– FP/CG/Sub Station/ 145115/2021**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र कमांक/ FC-I/IROCH-23/2023/1446(A) दिनांक 03.07.2023

2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र कमांक/मा.चि/2023/2684 दिनांक 11.08.2023

3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर एण्ड ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड कांकेर का पत्र कमांक/का.अ/सिविल ट्रांस/23–24/835 दिनांक 05.02.2024

-oo-

उपरोक्त संदर्भित पत्र –1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा " केशकाल वनमंडल के केशकाल परिक्षेत्र में ग्राम जामगांव में स्थित संरक्षित वन खण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी. 1259 में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्तावित 132/33 KV Sub–Station area 3.24 ha हे. वन भूमि" को गैर वानिकी उपयोग हेतु कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर एण्ड ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड कांकेर को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति उपरांत मुख्य वन संरक्षक, कांकेर द्वारा संदर्भित पत्र –2 के माध्यम से पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र –3 के माध्यम से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामांतरण का अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार शर्तो का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 01**
2	**Compensatory afforestation**	
	(a) Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in non-forest land of 3.24 ha. in khasra No. 92 at Beat- Ghotulmunda, Range – Durgukondal, Village- Ghotulmunda, District- Kanker at the cost of the User Agency. As far as possible, a	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के अंतर्गत ग्राम – घोटुलमुण्डा, खसरा नं. 92 रकबा 3.240 हे. राजस्व भूमि को छ.ग.शासन वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित/नामांतरित किया जा चुका है। शर्त अनुसार

ЭІС

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
	mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Kanker District shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	पालन हेतु आवेदक संस्थान मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर एण्ड ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड कांकेर द्वारा Undertaking दिया गया है। वन विभाग द्वारा शर्त अनुरूप वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा। **संलग्नक– 02**
	(b) The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval:	प्रकरण के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि 3.240 हे. को वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के आदेश दिनांक 17.01.2024 द्वारा नामांतरित की गयी है। उक्त प्राप्त भूमि को अधिसूचित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जावेगी। **संलग्नक– 03**
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	वर्तमान में प्रचलित 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण के दर के अनुसार वृक्षारोपण की राशि ई–चालान जनरेट कर कैम्पा मद में राशि रू. 31,31,998/– जमा की गई है इसके अलावा वन विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो मांग के अनुसार राशि जमा करने के लिये आवेदक विभाग Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 04**
4	Number of plants to be planted over Non-Forest Land identified for CA. shall be at least 1000 plants per hectare. If the requisite number of plants@1000/ha cannot be planted on the non-forest land identified for taking up CA. then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State government will intimate to the MoEF&CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedlings will be planted. The User Agency will deposit the cost of planting (including maintenance for ten years). The forest department shall provide the details of plantation of remaining plants along with compliance report.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित राजस्व भूमि में शर्त अनुसार वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराया जावेगा।
5	**NPV:**	
	(a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.24 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letter No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 letter No.	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 30/10/2022 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वनभूमि 3.240 हे. के लिये (ECO CLASS – I) सघन वन प्रति हेक्टेयर के लिये निर्धारित दर 14,36,670/– रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से कुल राशि 46,54,810.00 को R.T.G.S No. R52023072662995380 दिनांक 26.07.2023 को कैम्पा निधी के A/c No 1506473145115627 में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है। **संलग्नक– 05**

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
	5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 22.03.2022 in this regard:	
	(b) Additional amout of NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme Court of india on receipt of the report form the Expert Committee, shall be charged by the State form the user Agency. The user Agency shall furnish an under taking to this effect:	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 06**
6	The Total project affected trees are 160 comprised of 77 trees above 90 cm girth and the remaining 83 trees below 90 cm girth class. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the state forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	परियोजना से प्रभावित कुल 160 नग पेड़ों की कटाई तभी की जावेगी, जब यह अपरिहार्य हो। पेड़ों की कटाई हेतु वन विभाग द्वारा विदोहन योजना के अनुसार राशि की मांग किये जाने पर आवेदक संस्थान जमा करने हेतु Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 07**
7	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only throught e-portal (https://parivesh.nic.in)	परियोजना के तहत उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा समस्त राशि को कैम्पा मद में जमा की गई है। आनलाईन परिवेश पोर्टल में जमा राशि की रसीद संलग्न है। **संलग्नक– 08**
8	The distribution line from the substation should be up to 7 metres (22 to 23 feet)	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 09**
9	The wires from the substation to the distribution lines should be insulated cables to prevent hooking by rural farmers. Thereby preventing the possibility of elephant death.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 10**
10	The boundary wall of the substation must be elephant proof.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 11**
11	The State Government of Chhattisgarh Nodal Officer (FCA). Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule 9 (6) (b)(ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022	अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की बाध्यता) अधिनियम 2006 में दी गई दिशा निर्देशों/अधिनियमों के पालन पश्चात् ही विभाग भूमि सौंपने का आदेश जारी करेगा, जिसके लिये विद्युत विभाग सहमत है जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 12**
12	To improve the Forest/Tree Cover and to reduce pollution in the state as mandated in National Forest policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively the User Agency in consultation with local DCF shall raise at least 1500 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local for 10 years. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including	प्रदूषण को कम करने वन आवरण में सुधार के लिये बनाई गई अधिनियम के परिपालन में वन विभाग के निर्देशानुसार 1500 फलदार, बांस, औषधीय स्वदेशी प्रजाति के 10 वर्षीय रखरखाव सहित वृक्षारोपण का कार्य परियोजना क्षेत्र के आस पास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों के मदद से रोपण का कार्य करेगा, इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें भी विद्युत विभाग को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न

116

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
	forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road. User Agency shll voluntary distribute remaining 50% of seedlings as per choice of villagres free of cost. A compliance report including species wise details of seedlings raised. Location of plantation area and details of villagres whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC	है। **संलग्नक– 13**
13	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	132/33 के.व्ही. सब स्टेशन निर्माण कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है किन्तु भविष्य में आवश्यक होने पर शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 15**
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	राज्य सरकार के बिना अनुमति पूर्व स्वीकृत परियोजना के ले–आउट प्लान में परिवर्तन नहीं की जावेगी। जिसका Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 16**
15	No Labour camp shall be established on the forest land;	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं की जावेगी। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 17**
16	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	प्रस्तावित सब स्टेशन के कार्य प्रारंभ होने पर काम करने वाले श्रमिक/कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से ईधन की आपूर्ति की जावेगी। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 18**
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demareated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	व्यपवर्तित वन भूमि के बाउंड्रीवॉल को परियोजना व्यय अनुरूप उपयुक्त रूप से चिन्हांकित किया जावेगा। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 19**
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	परियोजना कार्य में वनभूमि पर कोई भी अतिरिक्त या नवीन मार्ग निर्माण नहीं किया जावेगा। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 20**
19	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	शर्त आवेदक विभाग को मान्य है। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 21**
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specification in the project proposal	शर्त आवेदक विभाग को मान्य है। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 22**
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circeumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	शर्त आवेदक विभाग को मान्य है। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 23**

117

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
22	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 -42/2017-FC dt- 29/01/2018	शर्त आवेदक विभाग को मान्य है। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 24**
23	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife:	शर्त आवेदक विभाग को मान्य है। Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 25**
24	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट को ई–पोर्टल (परिवेश) में अपलोड किया जायेगा। आवेदक संस्थान का Undertaking संलग्न है। **संलग्नक– 26**

उपरोक्तानुसर प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा प्रेषित पालन प्रतिवेदन को मान्य करते हुए अंतिम चरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– संलग्नक 1 से 26 तक की 02 –02 छायाप्रति

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू –प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–187/541 दिनांक 20/02/2024

प्रतिलिपिसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुः

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (vi) के अनुक्रम में।
2. **मुख्य वन संरक्षक,** कांकेर वृत्त, कांकेर।
3. **कलेक्टर,** जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
4. **वनमण्डलाधिकारी,** केशकाल / पूर्व भानुप्रतापपुर वन मण्डल, छत्तीसगढ़। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मण्डल के ग्राम – घोटुलमुण्डा, खसरा नं. 92 रकबा 3.240 हे. राजस्व भूमि को छ.ग.शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर के आदेश दिनांक 17.01.2024 द्वारा नामांतरित किये जा चुके है। अतः उक्त भूमि को तत्काल अपने नियंत्रण में रखे एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 अंतर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने हेतु अधिसूचना प्रस्ताव कार्यालयीन निर्देशित पत्र दिनांक 08.02.2024 अनुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
5. **कार्यपालन अभियंता (सिविल)**, संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कंपनी लिमि. कांकेर, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू –प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़